



बुलन्दशहर पुलिस



OPERATION CONVICTION

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

दिनांक- 14.05.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे "Operation Conviction" के तहत बुलन्दशहर पुलिस व अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप **दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के** सम्बन्ध में थाना खानपुर पर पंजीकृत मुअसं-387/2022 धारा 376,506 भादवि, ¾ पोक्सो एक्ट, 3(2)5 व 3(1)डीएस एससीएसटी एक्ट के अभियुक्त **विक्रान्त पुत्र ऋषि व अभियुक्ता रजनी पत्नी ऋषि निवासीगण ग्राम लडाना थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर** को मा० न्यायालय एडीजे पोक्सो-01 कोर्ट जनपद बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त विक्रान्त को आजीवन कारावास व 32 हजार का जुर्माना एवं अभियुक्ता रजनी को 02 वर्ष का कारावास 02 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



श्री भरत शर्मा
(ADGC)



नि. श्री यशपाल सिंह
(प्रभारी मॉनीटरिंग सैल)



है०का० निशु राणा
(पैरोकार)



है०का० अनिल
(कोर्ट मोहरीर)